


स.अ. 15,16. - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इसमें उल्लेख अनुसूची में द्वितीयक प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं: स.अ. केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वज्ञान विभाग और अधिष्ठाता, 1952 (1953 का 20) की धारा 3 की उपधारा (1) की शर्तों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आदेश की सूचना देती है: कि अतएव, जो इस अनुसूची के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारकों में हितवद्ध व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

क्रमांक	परिचय	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लॉट संख्याएं	क्षेत्रफल	संभाग	स्वामिध्व	टिप्पणियाँ
2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायसेन	सतधारा भेरुणु और अन्य अवशेष	नीचे उद्धृत स्थल रेखांक में यथास्थित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 10, 13 और 14 के भाग	28.154 हेक्टर	स्तर-सर्वेक्षण प्लॉट सं. 10 का शेष भाग पूरव-सर्वेक्षण प्लॉट सं. 10, 13 और 14 का शेष भाग दक्षिण-सर्वेक्षण प्लॉट सं. 14 का शेष भाग पश्चिम-सर्वेक्षण प्लॉट सं. 10, 13 और 14 का शेष भाग।	वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	

सतधारा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश स्थित स्तूपों और अन्य अवशेषों का स्थल मानचित्र



[सं. 2/43/79 एच.]

